

कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

// परिपत्र //

क्रमांक-क्यू/2020

उज्जैन, दिनांक-12.06.2020

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण,
समस्त कर्मचारीगण,
न्यायालय-उज्जैन/तराना/महिदपुर/बड़नगर/नागदा/खाचरौद


विषय:- कोरोना संक्रमण की अवधि के दौरान मुख्यालय छोड़ने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय का ज्ञापन क.ए./1378 जबलपुर दिनांक-12.06.2020

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित एवं विषयांकित परिपत्र के संबंध में निर्देश है कि कोई भी न्यायाधीश एवं कर्मचारीगण कोरोना संक्रमण की अवधि के दौरान या आगामी आदेश तक अवकाश की स्थिति में अपने मुख्यालय को छोड़कर अत्यधिक आवश्यक और आपात स्थिति के अलावा नहीं जायेंगे और मुख्यालय छोड़ने की आवश्यक या आपात स्थितियां क्या हैं, यह आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को देखते हुए जिला न्यायाधीश तय करेंगे।

कर्मचारियों या न्यायिक अधिकारियों के अवकाश आवेदन जिसमें मुख्यालय के बाहर जाने की अनुमति चाही है, सभी आवेदन पत्रों का निराकरण जिला न्यायाधीश स्वयं करेंगे और यह आवेदन ई मेल और जिला न्यायाधीश के वाट्सएप नंबर पर भेजे जायें।

निर्देशों का कठोरता से पालन किया जावे



(श्यामकान्त कुलकर्णी)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)


12/6/2020

पृष्ठान्त क्रमांक-क्यू-1/2020

उज्जैन, दिनांक-12.06.2020

प्रतिलिपि-

- 1 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
- 2 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
- 3 लेखापाल, जिला न्यायालय, उज्जैन
- 4 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन
की और सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।



(श्यामकान्त कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

12/6/2020